JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की उपयोगिता का विष्लेषण

डॉ. मोहन सिंह गुर्जर
सहा. प्रा. (अर्थषास्त्र)
षासकीय कुसुम महाविद्यालय, सिवनी मालवा
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

भारत के आर्थिक विकास में वित्तीय योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब देश के नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त होंगे। इसी प्रयास में केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमियों के लिए एक ऐसी ऋण योजना की शुरुआत की है जिसमें वह अपने छोटे से व्यवसाय को एक बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना के अंतर्गत समाज के वंचित वर्गों– महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र व्यक्तियों आदि को ऋण देने के साथ–साथ नये उद्यमियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रस्तुत षोधपत्र का उद्देष्य भारत के आर्थिक विकास के संदर्भ में इस योजना के क्रियान्वयन और योगदान का संभाव्य विष्लेषण करना है।

षब्द कुंजी–प्रधानमंत्री मुद्रा योजना–उद्देष्य, क्रियान्वयन, पात्रता, प्रगति, बैंकों की भूमिका।

प्रस्तावना –

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक प्रकार की ऋण योजना है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में की थी। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा देश के छोटे तथा मध्यम आकार के उद्योग–धंधो के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओ को पूरा करने के उदेश्य से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत उद्यमियों को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए छोटी रकम का ऋण प्रदान दिया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है लेकिन पूंजी के अभाव में वह ऐसा नही कर पाता है तो यह योजना उन्हें स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने में भी सहायता करती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को बिना गारंटी के ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें ऋण प्राप्त करने में आसानी होती है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पूरा नाम डपबतव न्दपजे क्मअमसवचउमदज त्मपिदंदबम (डन्क्त।) है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के मुख्य रूप से दो उद्देश्य है – पहला स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आसानी से ऋण देना तथा दूसरा छोटे उद्यमों के जरिये रोजगार का सृजन करना। सरकार की सोच यह है कि इस योजना के तहत जब लोगो को आसानी से ऋण प्राप्त होगा तो अधिक संख्या में लोग स्वरोजगार के लिए प्रेरित होंगे। इससे अधिक संख्या में रोजगार का सृजन भी होगा और बहुत हद तक बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने में महिलाओ को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना की अधिकृत वेबसाइट के अनुसार 31 मार्च 2020

तक मुद्रा योजना के अंतर्गत तीन लाख सैंतीस हजार करोड़ रूपये से अधिक का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है तथा तीन लाख उनतीस हजार करोड रूपये का ऋण दिया जा चूका है। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने एक संस्था माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एण्ड रिफाइनरी एजेंसी लिमिटेड (डनक्त।) का गठन किया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले ऋण –

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत निम्न तीन प्रकार के ऋण दिये जाते हैं –

1. शिशु ऋण – शिशु ऋण के अंतर्गत 50,000 रूपये तक का ऋण दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 60 प्रतिशत ऋण शिशु ऋण योजना के अंतर्गत ही दिये जाते हैं। यह ऋण उन व्यापारियों की आवष्यकताओं को पूरा करता है जो अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं या जिनके व्यवसाय स्टार्ट–अप अवस्था में हैं।

2. किशोर ऋण – किशोर ऋण के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है। यह ऋण उन लोगों की आवष्यकताओं को पूरा करता है जिन्होंने अपना व्यवसाय शुरू तो किया है, लेकिन अभी भी व्यवसाय स्थापित नहीं हो पाया है या बाजार में व्यवसाय को बनाए रखने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता है।

3. तरुण ऋण – तरुण ऋण के अंतर्गत 5 लाख रूपये से 20 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है। तरुण ऋण के अंतर्गत दिये जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा पहले 10 लाख रूपये थी जिसे हाल ही में बढाकर 20 लाख रूपये कर दिया गया है। ये ऋण उन लोगों के लिए होते हैं जिन्हें एक बड़े व्यवसाय की स्थापना करने की आवश्यकता होती है या व्यवसाय बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता होती है।

तालिका –2

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ब्याज दरें

क्र	मुद्रा ऋण का प्रकार	ऋण की राषि	ब्याज की दर
1.	शिशु ऋण	50,000 रूपये तक	10–12 प्रतिषत
2.	किशोर ऋण	50,000 रूपये से 5 लाख रूपये तक	14–17 प्रतिषत
3.	तरुण ऋण	5 लाख रूपये से 20 लाख रूपये तक	16 प्रतिषत से अधिक

स्त्रोत – पी. आई. बी., भारत सरकार, 2022

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र एवं गतिविधियां –

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले ऋण आर्थिक विकास के विभिन्न कारक क्षेत्रों में प्रदान किये जाते हैं, जिनमें कृषि, खाद्यान्न, सेवा, टेक्सटाइल, परिवहन आदि क्षेत्र प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों के अंतर्गत कई गतिविधियां षामिल हैं, जिनके लिये इस योजना के माध्यम से ऋण प्रदान किये जाते हैं। इन गतिविधियों के लिये षिषु ऋण, किषोर ऋण एवं तरूण ऋण का चयन किया जा सकता है।

तालिका – 2

मुद्रा ऋण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र एवं गतिविधियां

क्षेत्र	गतिविधियां
कृषि	कृषि से जुड़े कार्य जैसे फसल उगाना, पॉल्ट्री फार्म, मछली पालन, डेरी फार्म इत्यादि प्रारंभ करना, स्थापित करना या विस्तार करना।
खाद्यान्न	जैम और जेली, पापड, बिस्किट और ब्रेड बनाने, फल और सब्जी बेचने आदि में इस्तेमाल होने वाले मशीनरी का क्रय या इनका व्यवसाय करना।
सेवा	बुटीक, केमिस्ट की दुकान, सलून, ड्राई क्लीनिंग, फोटोकॉपी की सुविधा, आदि की स्थापना करना।
टेक्सटाइल	कारीगर से सम्बंधित ज़री का काम, कढ़ाई, चिकन का काम, बुनाई आदि का व्यवसाय प्रारंभ करना या उसका विस्तार करना।
परिवहन	सामान या यात्रियों के सफर के लिए वाहनो की खरीदी जैसे – ई–रिक्शा, छोटे माल परिवहन वाहन, ऑटोरिक्शा, टैक्सी आदि का क्रय।

मुद्रा योजना के लाभ –

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ एकाकी व्यवसायी, साझेदारी संस्था, माइक्रो इण्डस्ट्रीज, मरम्मत की दुकानें, ट्रकों के मालिक, फूड इण्डस्ट्रीज, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग फर्म आदि को प्राप्त हो सकता है। इस योजना का सबसे प्रमुख लाभ यह है कि ऋण बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। साथ ही किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता है। योजना के अंतर्गत ऋण चुकाने की अवधि 5 वर्ष के लिए होती है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

मुद्रा ऋण की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक –

वर्तमान में कुल 27 पब्लिक सेक्टर बैंक तथा 98 से अधिक वित्तीय संस्थान मुद्रा ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 17 निजी क्षेत्र के बैंक, 2 विदेशी बैंक और 25 सूक्ष्म वित्तीय संस्थान भी इसमें शामिल हैं जो व्यवसाय के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करते हैं। इस योजना के लिए केन्द्र सरकार ने कुछ बैंकों को इस योजना से सम्बद्ध किया है, जिनमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, आई सी आई सी आई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कार्पोरेशन बैंक, यूको बैंक, फेडरल बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, सारस्वत बैंक, एच डी एफ सी बैंक, आई डी बी आई बैंक तथा सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया आदि षामिल हैं।

मुद्रा ऋण हेतु आवष्यक दस्तावेज –

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिकृत बैंकों एवं संस्थानों के माध्यम से सम्पन्न होती है, जिसके लिए जो आवष्यक दस्तावेज बैंक अथवा संस्था में जमा कराने होते हैं, उनमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, व्यवसाय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट (पिछले छः माह का), दो फोटो प्रमुख हैं। यह सभी दस्तावेज बैंक या उस संस्था में जहाँ से ऋण लेना चाहते हैं वहा प्रस्तुत करने होते हैं। बैंक या संस्था का मैनेजर दस्तावेजों की जांच करता है तथा आवष्यक जानकारी लेने एवं उस पर विचार करने के उपरांत उस आधार पर मुद्रा ऋण स्वीकृत करता है।

मुद्रा योजना के लिए ऋण पर ब्याज दर –

कोई भी व्यक्ति जो स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत पात्र होने पर ऋण ले सकता है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 20 लाख रूपये तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। मुद्रा ऋण पर सरकार द्वारा कोई निश्चित ब्याज दर निर्धारित नहीं की गई है। विभिन्न बैंक इस योजना में अलग–अलग दर से ब्याज वसूलते हैं तथा इसमें ब्याज की दर ऋण की राषि के साथ बदलती रहती है। इस योजना में आमतौर पर ब्याज दर 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत के मध्य रहती है।

तालिका –3

लोकप्रिय बैंक व संस्थानों की मुद्रा ऋण पर ब्याज दरें

(वर्ष 2022 की स्थिति में)

बैंक व संस्थान	न्यूनतम ब्याज दर	अधिकतम ऋण राशि (रूपये में)	ऋण भुगतान अवधि (वर्ष में)
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	9.75 प्रतिषत	20 लाख	5 वर्ष
बजाज फिनसर्व	1 से 12 प्रतिषत प्रति वर्ष	20 लाख	5 वर्ष
बैंक ऑफ बड़ौदा	8.15 प्रतिषत	20 लाख	5 वर्ष
फ्लेक्सी लोन	1 प्रतिषत प्रति माह से प्रारंभ	20 लाख	7 वर्ष
लेंडिंग–कार्ट फाइनेंस	1 प्रतिषत प्रति माह से प्रारंभ	20 लाख	5 वर्ष
सारस्वत बैंक	11.65 प्रतिषत	20 लाख	5 वर्ष
पंजाब नेशनल बैंक	9.60 प्रतिषत	20 लाख	5 वर्ष
59 मिनट में च्ठ लोन	8.50 प्रतिषत	20 लाख	5 वर्ष
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	7.65 से 8.9 प्रतिषत	20 लाख	5 वर्ष
यूको बैंक	7.45 प्रतिषत	20 लाख	5 वर्ष

स्त्रोत – वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय रिजर्व बैंक, 2021–22,

तालिका का विष्लेषण प्रदर्षित करता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने वाले विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की ब्याज दरों में विभिन्नता है। तालिका में प्रदर्षित ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण विवेकाधिकार पर निर्भर करती हैं। ऋण की राषि बढ़ने पर ब्याज की दर में वृद्धि हो जाती है। ब्याज की राषि पर जी.एस.टी. एवं सर्विस चार्ज पृथक से वसूल किया जाता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत उप–योजनाएं –

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत व्यवसाय की आवष्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ उप–योजनाओं का निर्धारण किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं –

1. **क्रेडिट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज योजना –** यह उप–योजना मुद्रा योजना के आधारभूत उद्देष्य को पूर्ण करने के लिये बनाई गई है। यह योजना लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर केन्द्रित है, जिससे योजना के लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हो सके।

2. महिला व्यवसाय योजना – यह उप–योजना महिला व्यवसायियों को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की गई है। इस योजना का उद्देष्य महिला व्यवसायी, महिला समूह, महिला स्वयं सहायता समूह आदि को छोटे व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिये प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत ब्याज दर में छूट का प्रावधान भी किया गया है।

3. बैंकों एवं संस्थाओं के लिये पुनर्वित्त योजना – ऐसे बैंक एवं संस्थाएं जिन्होंने पात्र मुद्रा आवेदकों को 10 लाख रूपये तक का ऋण दिया है, वे इस योजना के अंतर्गत पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिये आवष्यक है कि बैंक एवं संस्थाएं आवेदकों को अपने बेस रेट पर ही ऋण प्रदान करें।

4. माइक्रो क्रेडिट योजना – इस उप योजना के अंतर्गत सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को उनकी आवष्यकताओं के आधार पर सुविधा प्रदान की जाती है। साथ हीव्यक्तियों के समूह और छोटी व्यावसायिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5. .मुद्रा कार्ड योजना – इस योजना के अंतर्गत मुद्रा कार्ड एक विशेष सुविधा है, जिससे आवष्यकता के समय मुद्रा खाते से राषि निकाली जा सकती है और बाद में उस राषि को खाते में फिर से जमा कराकर उसका भुगतान किया जा सकता है। ये सुविधा बैंक अधिविकर्ष की तरह काम करती है। निकाली गई राषि को ऋण माना जाता है, ब्याज भी उसी राषि पर लगता है, जो निकाली गई है।

6. **क्रेडिट गारंटी फंड योजना** – क्रेडिट गारंटी फंड योजना को मुद्रा ऋण देने वाली संस्थाओं के लिए जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है। इस उप योजना के अंतर्गत बैंकों व ऋण संस्थानों को दिए गए मुद्रा ऋण की क्रेडिट गारंटी दी जाती है।

7. **उपकरण फाइनेंस योजना** – यह उप योजना छोटे व्यापरियों के लिए बनाई गई है, जिसमें व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान दी जाती है। इस उप योजना की सहायता से अच्छे उपकरणों को फाइनेंस के जरिए खरीदा जा सकता है।

योजना की उपलब्धियां –

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में दी गई जानकारी के अनुसार कोविड–19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020–21 को छोड़कर, योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर के सभी लक्ष्यों को इसकी स्थापना के बाद से लगातार पूरा किया गया है। अप्रैल 2015 में इसकी स्थापना के बाद से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के के अंतर्गत 32.53 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किये गये हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार इस योजना ने वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक 1.12 करोड़ कुल अतिरिक्त रोजगार सृजन में सहायता की है। रोजगार में हुई अनुमानित वृद्धि के अनुसार इन 1.12 करोड़ में 69 लाख महिलाएं शामिल हैं, जो कुल लाभार्थियों का लगभग 62 प्रतिषत है।

योजना के प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये कुछ आवष्यक कदम भी उठाये गये हैं, जैसे–उद्यमी मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वचालित प्रतिबंधों के साथ डिजिटल ऋण करना, हितधारकों के बीच योजना की पारदर्षिता बढ़ाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और मुद्रा लिमिटेड द्वारा गहन प्रचार अभियान प्रारंभ इत्यादि।

निष्कर्ष –

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में समाज के वंचित वर्गों, महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र आवेदकों आदि को ऋण देने के साथ ही नए उद्यमियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को सरकार ने वर्ष 2015 में गैर–कॉर्पोरेट, गैर–कृषि छोटे एवं सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया था, योजना की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए इसकी सीमा बाद में 20 लाख रूपये तक कर दी गई है। यह योजना बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों जैसे विभिन्न वित्तीय संस्थानों के माध्यम से निरंतर गैर–कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्तपोषण प्रदान कर रही है। इस योजना के माध्यम से महिला उद्यमियों को रियायती दर पर वितरित किये गये मुद्रा ऋण महिलाओं के आर्थिक विकास की ओर ध्यान केन्द्रित करते हैं।

संदर्भ –

1. वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय रिजर्व बैंक।
2. पत्र सूचना कार्यालय, (पीआईबी), भारत सरकार।
3. वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार।

———————